



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/01013/CR-1

दिनांक : 25.10.2018

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 11.10.2018, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 22.10.2018 को संख्या CICOM/R/2018/01013 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

सहायक (डाक अनुभाग) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के तहत सहायता ली गई। डाक अनुभाग द्वारा बताया गया की आप द्वारा भेजी गई *द्वितीय अपील* दिनांक 18.07.2017 इस आयोग में दिनांक 25.07.2017 को प्राप्त हुई, जिसे डायरी संख्या 151288 के तहत केन्द्रीय रजिस्ट्री को भेजा गया।

इस कमीशन की कम्प्यूटरीकृत डाक मैनेजमेंट दर्शाता है कि उपरोक्त डायरी न. 151288 पर सुविधा जापन दिनांक 21.08.2017 (प्रतिलिपि संग्रह) को स्पीड पोस्ट Tracking न: ED375700954IN दिनांक 02.08.2017 के तहत आपको भेजा जा चुका है। ताकि आप द्वारा दर्शायी गई त्रुटियों को दूर करके अपनी पिटिशन को दुबारा भेज सके जिसे की द्वितीय अपील के रूप में पंजीकृत किया जा सके।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067।

संलग्न: उपरोक्त

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

Email Id: drcr1@cic.nic.in

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।



(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

Second Appeal/Complaint- Facilitation Memo



Central Information Commission
CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka,
New Delhi - 110 067

Diary No: 151288 / 2018

Date: 21-08-2018

To:
BANI SINGH MEENA
VILL KAUDIYA , PO BHIMHAVIR , TEH
HINDAUN
Karauli
Rajasthan - 322220

Subject:- Return of Second Appeal along with all documents for removal of deficiencies.
Madam/Sir,

Reference your Second Appeal dated 20-08-2018 received on 20-08-2018 vide above Diary Number.

2. On scrutiny of the Second Appeal, it is seen that the same has the following deficiencies, which are required to be removed.

- Copy of the first appeal made to the First Appellate Authority is not enclosed.

3. Other Mandatory documents required for proper presentation of your case ,if available

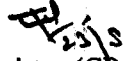
- An index of the documents

4. All the documents shall be duly authenticated and verified by the Appellant.

Your above mentioneed Second Appeal is therefore returned, as per rule 8 of RTI rules 2012, for removing the deficiencies. You are requested to send second appeal complete in all respects.

While sending the Second appeal a copy of this letter should also be enclosed.

Enclosure as above


Deputy Registrar(CR-I)